/

# Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
सत्यमेव जयते
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

No. C/7/2006-MPLADS

Dated 10.05.2010

To

The Commissioners,
Corporation of Kolkatta/Chennai/Delhi,
Districts Collectors/District Magistrates/Deputy Commissioners

**Subject: Distribution of unspent/unreleased/funds not committed for the eligible recommended work of the predecessor MPs upto 14th Lok Sabha – reg.**

Sir/Madam,

Consequent upon delimitation of constituencies during the 15th Lok Sabha, there have been large scale changes in the topography of many of the constituencies in the country. As a result, a number of new constituencies have been created while some of the previous constituencies have ceased to exist and even in some cases, although the same name has been retained as the previous constituency, the area in the new constituency is altogether different from the previous one. As clear linkage could not be established with the old constituency upto 14th Lok Sabha with the new constituency in the 15th Lok Sabha, therefore, the procedure laid down in the MPLADS Guidelines for distribution of unspent/uncommitted funds could not be followed.

2. Accordingly, for distribution of unspent and unreleased/ uncommitted funds which become available after completion of all eligible recommendations upto 14th Lok Sabha, the Ministry has now decided to adopt the following procedure :-

(i) In the case of State/Union Territories with single constituency such as Mizoram, Nagaland, Sikkim, Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Pudducherry, unspent funds upto 14th Lok Sabha could be directly passed on to successor MPs of 15th Lok Sabha.

(ii) In the States of Assam, Arunachal Pradesh, Goa, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Meghalaya, Manipur and Tripura where there has been no or very small impact due to delimitation and one to one linkages could be established between old and new constituencies, uncommitted/unspent balance after the completion of all eligible recommended works upto 14th Lok Sabha would be passed on to

(iii) In the remaining States where there has been quite significant impact of the delimitation, the unspent/ unreleased/uncommitted balance after the completion of all eligible recommended works upto 14th Lok Sabha should be added up for whole of the States (all Lok Sabha constituencies) and thereafter the amount should be equally divided among all sitting MPs of the 15th Lok Sabha in that State, as being followed in the case of distribution of unspent/uncommitted funds available from ex-Rajya Sabha Members, where clear successor is not available.

3. The distribution of funds as mentioned in para 2(iii) above, is to be carried out by the Nodal Departments of the State Governments after obtaining necessary information about unspent/unreleased/uncommitted balances from the District authorities. As this Ministry has already given instructions to all District authorities to complete all works pertaining upto 14th Lok Sabha before 30.09.2010, therefore the exercise may be taken up after that date. However, all States are requested to complete the above work of distribution of funds positively by 31st December, 2010.

4. It is once again reiterated that all eligible recommended works upto 14th Lok Sabha may be completed by 30th September, 2010.

5. It is requested that after completion of the above mentioned exercise the details of the unreleased/unspent funds distributed to the MPs of the 15th Lok Sabha may kindly be furnished to the Ministry. Further clarifications, if any, required in this regard, may be sought from the Ministry.

Yours faithfully,

**(Dr. Ravendra Singh)**
**Deputy Director General (PI)**

**Copy to:**

1. All Hon'ble Members of Parliament (Lok Sabha).
2. The Secretary, Nodal Department dealing with MPLADS (All States/UTs)
3. Shri D.B. Singh, Joint Secretary, Rajya Sabha Secretariat, New Delhi
4. Shri Hardev Singh, Director, Lok Sabha Secretariat, New Delhi
5. To all concerned in MPLADS Division.
6. NIC for uploading on the MPLADS website.

# Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली–110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAWAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

**सं. सी/7/2006-एमपीलैड्स** Dated 10.05.2010

सेवा में

आयुक्त,
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त ।

**विषयः 14वीं लोक सभा तक के पूर्व-सांसदों की अव्ययित/जारी न की गई/पात्र अनुशंसित कार्य के लिए अप्रतिबद्ध निधि का वितरण ।**

महोदय/महोदया,

15वीं लोक सभा के दौरान निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के फलस्वरूप, देश में कई निर्वाचन-क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया है । परिणामस्वरूप, कई नए निर्वाचन-क्षेत्र बन गए हैं जब कि पिछले कुछ निर्वाचन-क्षेत्र अब अस्तित्व में नहीं रह गए हैं और कुछ मामलों में, हालांकि, नाम तो वही रखा गया है, जो पिछले निर्वाचन-क्षेत्र का था, किंतु नए निर्वाचन-क्षेत्र का क्षेत्र पिछले निर्वाचन-क्षेत्र से बिल्कुल भिन्न है । चूंकि, 15वीं लोक सभा के नए निर्वाचन-क्षेत्र के साथ 14वीं लोक सभा तक के पुराने निर्वाचन-क्षेत्र का स्पष्ट लिंकेज स्थापित नहीं किया जा सकता था, इसलिए अव्ययित/अप्रतिबद्ध निधि के वितरण के लिए एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों में निर्धारित कार्यविधि का पालन नहीं किया जा सका ।

2. तदनुसार, अव्ययित और जारी न की गई/अप्रतिबद्ध निधि के वितरण के लिए, जो 14वीं लोक सभा तक की सभी पात्र अनुशंसाओं के पूरा होने के बाद उपलब्ध हुई है, मंत्रालय ने अब निम्नलिखित कार्यविधि अपनाने का निर्णय लिया हैः-

(i) एकल निर्वाचन-क्षेत्र वाले राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों जैसे मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमण और दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के मामले में, 14वीं लोक सभा तक की अव्ययित निधि सीधे 15वीं लोक सभा के उत्तरवर्ती सांसदों को अंतरित की जा सकती है ।

(ii) असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों में जहां परिसीमन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है या बहुत कम पड़ा है तथा पुराने एवं नए निर्वाचन-क्षेत्रों के बीच परस्पर लिंकेज स्थापित किए जा सकते हैं, वहां 14वीं लोक सभा तक के सभी पात्र अनुशंसित कार्यों के पूरा होने के बाद, अप्रतिबद्ध/अव्ययित शेष 15वीं लोक सभा के संबंधित सांसदों को अंतरित किया जाएगा ।

..2...

(iii) शेष राज्यों में, जहां परिसीमन का अत्यंत व्यापक प्रभाव पड़ा है, वहां 14वीं लोक सभा तक के सभी पात्र अनुशंसित कार्यों के पूरा होने के बाद अव्ययित/जारी न किए गए/अप्रतिबद्ध शेष को पूरे राज्य (सभी लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र) के लिए जोड़ा जाए और तत्पश्चात् उस राशि को उस राज्य के 15वीं लोक सभा के सभी वर्तमान सांसदों के बीच बराबर-बराबर बांट दिया जाए, जैसा पूर्व राज्य सभा सांसदों से उपलब्ध अव्ययित/अप्रतिबद्ध निधि के वितरण के मामले में किया जाता है, जहां स्पष्ट तौर पर उत्तरवर्ती सांसद नहीं होता है ।

3. निधि का वितरण जैसा उपर्युक्त पैरा 2 (iii) में उल्लेख किया गया है, जिला प्राधिकारियों से अव्ययित/जारी न किए गए/अप्रतिबद्ध शेष के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद राज्य सरकारों के नोडल विभागों के द्वारा किया जाना है । चूंकि, इस मंत्रालय द्वारा सभी जिला प्राधिकारियों को 14वीं लोक सभा तक के सभी कार्यों को 30.09.2010 से पहले पूरा करने के निदेश पहले ही दिए जा चुके हैं, इसलिए, यह प्रक्रिया उक्त तारीख के बाद शुरू की जाए । तथापि, सभी राज्यों से अनुरोध है कि निधि के वितरण का उपरोक्त कार्य 31 दिसम्बर, 2010 तक अवश्य पूरा कर लें ।

4. यह एक बार पुनः दोहराया जाता है कि 14वीं लोक सभा तक के सभी पात्र अनुशंसित कार्यों को 30 सितम्बर, 2010 तक पूरा किया जाए ।

5. अनुरोध है कि ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया पूरी करने के बाद 15वीं लोक सभा के सांसदों को वितरित जारी न की गई/अव्ययित निधि का ब्यौरा कृपया मंत्रालय को भेजा जाए । इस संबंध में, यदि आगे कोई और स्पष्टीकरण अपेक्षित हो, तो मंत्रालय से प्राप्त किया जाए ।

भवदीय,

**(डॉ. रविन्द्र सिंह)**
**उप महानिदेशक (पीआई)**

**प्रतिलिपिः**

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) ।
2. सचिव, एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. श्री डी.बी. सिंह, संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. श्री हरदेव सिंह, निदेशक, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।